राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांकः प. 1 (5)/एम.ई/ग्रुप–1/2017 जयुपर, दिनांकः 15 MAR 2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को बायोकेमिस्ट के पद पर वेतन श्रृंखला 15600–39100 (ग्रेड–पे रू0 5400/–) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1 (2) एफडी / रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं कमांक एफ.14(1)एफडी/ रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनसुार निर्धारित दरो पर नियत पारिश्रमिक रूपये 22,180/– प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से दो वर्षो के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज मे नियुक्ति प्रदान करते हैः–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ0 ममता राठौड पुत्री श्री निर्भय सिंह राठौड, पता –3, शास्त्री सर्कल, मोक्ष मार्ग रोड, होटल कजरी के पीछे उदयपुर (राज.) 313001	**26**	12.07.1986	GE	आर0एन0टी0 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्वति एवं प्रावधान, शर्तो, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) कमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक प. 6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता का परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता का जहां तक प्रश्न है इनके नाम आयोग के पत्रांक प. 7(37) भर्ती/गोपनीयता/2013–14/105 दिनांक 27.06.2016 के अन्तर्गत मुख्य चयन सूची में से अभिस्तावित 22 अभ्यर्थियों के उपरान्त रखी जायेगी।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो के तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

आदेश से,
14/3/17
(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. विशिष्ठ सहयायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(37) भर्ती/ गोपनीयता/2013–14/105 दिनांक 27.06.2016 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

14/3/17
(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव